रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052023-246155
CG-DL-E-30052023-246155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319] नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2023/ज्येष्ठ 8, 1945
No. 319] NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2023/JYAISHTHA 8, 1945

India Code

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2023

सा.का.नि. 393(अ).—कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 (2015 का 11) की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 47(अ) तारीख 24 जनवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 24 जनवरी, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अत:, अब केंद्रीय सरकार कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) की धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान (विशेष उपबंध) (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 में, नियम 10 के उपनियम (4) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में, "बैंक गारंटी के रूप में बोली प्रतिभूति" शब्दों के स्थान पर "बोली प्रतिभूति उपलब्ध कराना" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. सीबीए2-13011/1/2020-सीबीए2]

म. नागराजू, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 883(अ), तारीख 11 दिसंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 332(अ) तारीख 29 मई, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2023

G.S.R. 393(E).—WHEREAS, the draft of certain rules further to amend the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014 was published, as required under sub-section (1) of section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Coal number G.S.R. 47 (E), dated the 24th January, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th January, 2023;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014 , namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Coal Mines (Special Provisions) (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014, in rule 10, in sub-rule (4), in clause (c), in sub-clause (iii), for the words "bid security in the form of bank guarantee", the words "provide bid security" shall be substituted.

[F. No. CBA2-13011/1/2020-CBA2/P&S-II]
M. NAGARAJU, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 883(E), dated the 11th December, 2014 and were last amended *vide* number G.S.R 332(E), dated the 29th May, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.05.30 14:23:45 +05'30'